राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

क्रमांकः एफ–4/मु0/याता/लेखा(112)/2020/548 दिनांकः– 05.02.2020

कार्यालय–आदेश

संयुक्त शासन सचिव ,शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर का पत्रांक एफ–18(2)/शिक्षा–2/2010/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 31.01.2020 के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा शिक्षक दिवस– 2019 के अवसर पर की गई घोषणा की अनुपालना में राजस्थान के राज्य एवं राष्ट्रीय राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में राजस्थान प्रदेश के किसी भी स्थान पर यात्रा करने पर यात्री किराया राशि में वर्तमान में देय 50 प्रतिशत रियायत के स्थान पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर द्वारा **राज्य एवं राष्ट्रीय राज्य स्तर पर** पुरस्कृत शिक्षकों की जारी सूची अनुसार पुरस्कृत शिक्षकों को निःशुल्क यात्रा हेतु RFID कार्ड सम्बन्धित आगार स्तर पर जारी किये जावेगें तथा निःशुल्क यात्रा हेतु टिकिट जारी किए जावें।

आगार द्वारा निःशुल्क यात्रा से पडने वाले वित्तीय भार की सूचना मासिक रूप से सांख्यिकी विभाग, मुख्यालय को भिजवाई जावेगी एवं इसके रिकार्ड का समुचित संधारण किया जावेगा ।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी.सं. 102000286 दिनांक 24.1.2020 की अनुपालना में एवं निगम संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है जो तुरन्त प्रभाव से लागू होगें ।

(यू.डी.खान) 04/02/2020
प्रबन्ध निदेशक

Scanned by CamScanner

क्रमांकः– एफ4/मु0/याता./लेखा(112)/2020/548 दिनांकः 04.02.2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रमुख सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ,जयपुर ।

2. विशिष्ट सहायक,माननीय परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।

3. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री ,राजस्थान सरकार, जयपुर।

4. आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर ।

5. निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, बीकानेर ।

6 निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, राज. परि. निगम, मुख्यालय–जयपुर।

7. संयुक्त शासन सचिव, परिवहन विभाग,राजस्थान सरकार , जयपुर ।

8. संयुक्त शासन सचिव,शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग, राजस्थार सरकार, जयपुर ।

9. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राज. परि. निगम, मुख्यालय–जयपुर।

10. महा प्रबंधक/संयुक्त महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक ( ) रा.प.नि.मु.जयपुर ।

11. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम, —————————— जोन।

12 .उप महा प्रबंधक (सांख्यिकी) रा. प. निगम, मुख्यालय जयपुर।

13. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश निगम वेबसाइट पर उपलब्ध करावें एवं समुचित कार्यवाही करावें

14 .सचिव, रा.प.नि.मु.जयपुर।

15 .कार्यकारी प्रबंधक (जन–सम्पर्क) रापनि, मु.–जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार–प्रसार करावें।

16 कार्यकारी प्रबंधक ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय–जयपुर।

17 समस्त मुख्य प्रबंधक, राज. परि. निगम, ————————— आगार को प्रेषित कर निदेशित किया जाता है कि निःशुल्क यात्रा से पडने वाले वित्तीय भार का समुचित संधारण किया जावें एवं वित्तीय भार की सूचना उप महा प्रबन्धक (साख्यिकी) को आवश्यक रूप से प्रेषित करें ।

18. प्रबंधक (यातायात/वित्त) राजस्थान परिवहन निगम, ————————— आगार।

19. आदेश/रक्षित पत्रावली।

04/02/2020

(ओम प्रकाश शर्मा)

कार्यकारी प्रबन्धक (यातायात)

Scanned by CamScanner